

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 16-20 / 2016 / 2 / 34

भोपाल, दिनांक 14 SEP 2017

आदेश

तकनीकी समिति की छठवीं बैठक दिनांक 21 अगस्त 2017 की अनुशंसाओं को मान्य करते हुये रूपये 2.00 करोड़ लागत तक की नलकूप खनन कार्य की निविदायें Two Stage (Envelop-A and C) में ही आमंत्रित की जावें। उक्त कार्य हेतु निर्धारित अर्हताओं/शर्तों के अनुसार दस्तावेज Envelop-A में ही निविदाकार से ऑनलाईन तथा भौतिक रूप से प्राप्त किये जायें। निविदा निराकरण की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी निविदाकार के निविदा प्रस्ताव शासन के क्रमांक एफ-16-20 / 2016 / 2 / 34 दिनांक 02.08.2017 (प्रति संलग्न) में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया अथवा अन्य किसी तकनीकी कारण से तकनीकी रूप से अपात्र (Technically Disqualified) पाये जाते हैं तो ऐसे निविदाकारों को उनके Envelop-A खुलने पर ही Technically Disqualified कर दिया जावे तथा उनके Envelop-C न खोलते हुये निविदा निराकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

14/09/2017  
(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16-20 / 2016 / 2 / 34

भोपाल दिनांक 14 SEP 2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित, विध्याचल भवन म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल / इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर / वि.यां.भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

14/09/2017  
जप.सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग